



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, वजीरपुर, (सवाई माधोपुर)
ज़िला - सवाई माधोपुर
जाति प्रमाण - पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.)/18147901147
दिनांक: 21-10-2018
आवेदक का आधार नम्बर: 762447796660
आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या: 9999-OMTE-00152

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत घुनावत पुत्र/पुत्री श्री रमेश चन्द गांव/नगर गाँव बडोली पोस्ट बडोली, बडोली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर जिला/डिवीज़न सवाई माधोपुर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 9 MINA (9 मीना) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1960, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश 1970

श्री प्रशांत घुनावत गांव/नगर गाँव बडोली पोस्ट बडोली, बडोली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर जिला / डिवीज़न सवाई माधोपुर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नोट

1. यहां प्रयोग साधारणतः निवासी पत्र अर्थात् वहीं होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस जे ई/कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र किबोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेज़ों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेज़ों जिसे के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION में Online सत्यापित किया जा सकता है। टोल फ्री संख्या: 180153873721

उपखण्ड अधिकारी, वजीरपुर, (सवाई माधोपुर)

Signature valid

Digitally signed by B. B. BU
LAL JAT
Date: 2018.10.21 13:11:00
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan

